जिम्मेदार पितृत्व अभियान

'मेन्स एक्शन फॉर इक्विटी' म0प्र0 ने फोरम टू इंगेज मेन (फेम) फॉर जेण्डर इक्वलिटी व सी.एच.एस.जे. नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में "बाल अधिकारों के संरक्षण मे पुरूषों की जिम्मेदार पिता के रूप मे भूमिका" पर राष्ट्रीय अभियान चला रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुये इस अभियान का मानना है कि पुरूष अपनी सोच और व्यवहार मे सकारात्मक बदलाव लाकर समानता आधारित, भेदभाव रहित तथा हिंसा मुक्त परिवार व समाज की स्थापना कर सकता है। मैसवा, फेम और सी.एच.एस.जे. के द्वारा जेंडर समानता और महिला हिंसा के विरूद्ध पुरूषों के साथ करीब 10 वर्षों के कार्यों से सीख मिली है कि हर पुरूष हिंसक नहीं है, सारे पुरूष हिंसा का समर्थन नहीं करते और महिलाओं के साथ गैर बराबरी, भेदभाव तथा हिंसा के खिलाफ बहुत सारे पुरूष बेचैनी रखते हैं, खड़े होना चाहते हैं, परन्तु सामाजिक मूल्य तथा मान्यताओं के दबाव मे चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं और ना ही खुल कर विरोध दर्ज करा पाते हैं। यही चुप्पी हिंसा व भेदभाव का सबसे बड़ा कारण बनती है, और ऐसे पुरूष जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं उनको जगह और माहौल तथा समर्थन नहीं मिल पाता।

पिछले कुछ वर्षों से यह बात जोरदार ढंग से उठाई जाने लगी है कि महिला हिंसा समाप्त करने व जेण्डर समानता को प्राप्त करने के लिए पुरुषों के साथ काम करने की काफी जरूरत है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि हिंसा व जेण्डर के मुद्दों को केवल महिलाओं से जोड़ कर न देखा जाय। आज जो भी पुरुषों के साथ जेण्डर समानता, महिला हिंसा, पर काम हो रहा है उसमें पुरुषों द्वारा पालन–पोषण व देखभाल (केयरिंग) की भूमिका को जोड़ कर नहीं देखा गया। ज्यादातर पालन–पोषण व देखभाल (केयरिंग) से जुड़े कामों का भार महिलाओं पर है। आज भी हमारे समाज में पुरुषों से कमाने व महिलाओं से घरेलू काम व देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है।

अगर हम भारत के सविधान ओर बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (यू.एन.सी.आर.सी) 1989 साथ ही बाल श्रम उन्मूलन, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय कानून आदि के कियान्वयन के स्तर को देखें तो भारत के हर कोने से गुणवत्ता पूर्ण कियान्वयन पर सवाल खड़ा होता है। हमारे देश में 2007 में बाल अधिकारों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है जो बाल अधिकारों के हनन या बच्चों के खिलाफ मामलों पर निगरानी करता है। हाल ही में संसद ने बाल यौन शोषण पर भी कानून बनाया है। इन तमाम सुरक्षात्मक उपायों के वाबजूद अपने देश में बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है। एक ओर जहां बच्चे शिश मृत्यु व कुपोषण के शिकार होते हैं वहीं दूसरी ओर सबके लिए शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है तथा बचपन से ही लड़कियों के साथ घर में भेदभाव होता है। लड़कियों को बाल विवाह व कम उम्र में

गर्भधारण का बोझ उठाना पड़ता है। इसी के साथ बच्चे व बच्चियां घरों में तथा घरों के बाहर शारीरिक, मानसिक व यौनिक हिंसा का शिकार होते हैं।

जाहिर है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया गया है और शिशु मृत्युदर या कुपोषण का उच्च दर अभिभावकों की उपेक्षा का परिणाम नहीं है, लेकिन वहीं कई जगहें हैं जहां बच्चों को घरों में मदद, सुरक्षा व प्रोत्साहन की जरूरत है ताकि वे अपने पूर्ण क्षमताओं का विकास कर सके।

बहुत सारे बच्चे घर में भावनात्मक शोषण, का सामना करते है। माता–पिता के निर्देश नहीं मानने पर दण्ड, कम उम्र में शादी, कम उम्र में गर्भधारण, पोषण, शिक्षा के मौके व स्वास्थ्य में भेदभाव जैसे मुद्दे भी है जिनसे बच्चों को जूझना पड़ता है। इन सभी मुद्दों में पिता को पहल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

घर के अन्दर यदि बच्चे असुरक्षित हैं तो यह जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती। हमारे समाज में बच्चों के सन्दर्भ में पिता की भूमिका केवल संसाधन मुहैया कराने व अनुशासन बनाए रखने तक ही सीमित हो जाती है जो परिवार में गैर बराबरी को बढ़ाती है। अतः पिता को बच्चों की देखभाल व पालन पोषण में जोड़ने की प्रक्रिया एक तरह से पितृसत्तात्मक संरचना को चुनौती देगी तथा भावनात्मक रूप से पुरुष को महिलाओं व बच्चों के नजदीक ले आएगी।

इसी ध्येय से 'मेन्स एक्शन फॉर इक्विटी' व फेम के बैनर तले 5 राज्यों में 'जिम्मेदार पितृत्व' अभियान चलाया जा रहा है। 'मेन्स एक्शन फॉर इक्विटी' मध्य प्रदेश के 12 जिलों में 10 जनवरी से 30 जनवरी 13 तक सघन रूप से जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के अन्तर्गत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े सभी हित प्रभावी लोग जैसे शिक्षक, पंचायत, मिडियाकर्मी, समाजकर्मी के साथ–साथ भावी पिता (युवा) और वर्तमान में पिता की जिम्मेदारी निभा रहे लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान व सीखने–सीखाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

'मेन्स एक्शन फॉर इक्विटी' सभी युवाओं, पुरुषों, सामाजिक चिंतकों का आहवाह्न करता है कि बच्चों के बेहतर भविष्य, समतामूलक, हिंसा रहित परिवार, समुदाय, समाज बनाने के लिए आगे आए। अपनी सीख हम सभी से साझा करे।